न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 95/2024/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांकः 9.05.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

नागूलाल आत्मज भैरूलाल मेहर आयु 50 वर्ष निवासी गणेशपुरा, तहसील डग, जिला झालावाड़
...अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत डग, तहसील डग, जिला झालावाड
2. विक्रमलाल आत्मज रोडालाल निवासी पडासली, तहसील डग, जिला झालावाड
3. मांगूलाल आत्मज मेहताब निवासी ग्राम डोली सरना, तहसील डग, जिला झालावाड

... रेस्पोडेन्ट्स

प्रकरण संख्याः 96/2024/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांकः 9.05.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मांगू आत्मज मेहताब निवासी ग्राम डोली सरना तहसील डग जिला, झालावाड़
...अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत डग, तहसील डग, जिला झालावाड
2. विक्रमलाल आत्मज रोडालाल निवासी पडासली, तहसील डग, जिला झालावाड
3. नागूलाल आत्मज भैरूलाल मेहर आयु 50 वर्ष निवासी गणेशपुरा, तहसील डग, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री चन्द्रशेखर कक्कड़ अभिभाषक –अपीलांट
श्री अशोक बादल अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 22.10.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार जिला झालावाड़ (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 172/अपील/2023 बउनवान नागूलाल बनाम ग्राम पंचायत डग वेग0 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

अति. सं. आयुक्त 10/24

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत डग की कोरम द्वारा नामातंरण संख्या 5959 दिनांक 7.08.2023 से स्वीकृत किया गया। उक्त नामातंरण के विरूद्व अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार को पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने से राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी या पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ऐसा कोई भी आदेश/परिपत्र/नोटिफिकेशन पेश नहीं किये जाने से ग्राम पंचायत डग द्वारा स्वीकृत उपरोक्त नामांतरण कानूनन वैध मानते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 12.03.2024 से खारिज की गई।

2 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार जिला झालावाड़ (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 172/अपील/2023 बउनवान नागूलाल बनाम ग्राम पंचायत डग वेग0 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किये बिना विधि विरूद्व प्रकिया अपनाकर आर्बिट्रेरी रूप से पारित किये जाने में भारी विधिक त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विक्रय पत्र पंजीकृत दिनांक 30.05.2022 में खसरा संख्या 4777/1525 रकबा 0.6200 हेक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम डग तहसील डग में से 0.3794 हेक्टेयर भूमि का विक्रय किया जाना अंकित है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप उक्त वर्णित कुल भूमि में से दिनांक 30.05.2022 के पूर्व ही खसरा संख्या 4777/1525 बाबत् राजस्व रिकॉर्ड अंकित भूमि के नामातंरण संख्या 5570 दिनांक 7.01.2022 रूपातंरण तस्दीक करने के पूर्व को विकता रेस्पो0 क्र.3 ने रकबा 0.3920 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मार्ग अधिकारी बाबत् समर्पण कर दी थी। जो सपरिवर्तन आदेश दिनांक 13.12.2021 को पारित किये जाने पर नामातंरण संख्या 5757 दिनांक 30.09.2022 राजस्व रिकॉर्ड में तस्दीक करते हुये गैर–मुमकिन रास्ते के रूप में नवीन खसरा संख्या 4816/4777 कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की गई थी। उक्त परिस्थिति में विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2022 प्रारम्भिक रूप से शून्य एवं निष्प्रभावी है। विक्रय पत्र में वर्णित खसरा संख्या 4777/1525 के किसी भी भू–भाग पर न रेस्पो0 क्र. 2 का कब्जा है न पूर्व में रहा है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के द्वारा पेश की गई निर्वाचन अधिकारी की जारी अधिसूचना दिनांक 04.08.2023 के ग्राम पंचायत डग सरपंच के चुनाव 20.08.2023 को होंगे का आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर भी ग्राम पंचायत डग के द्वारा जेरअपील नामांतरकरण विधि विरूद्ध नहीं माना गया एवं ग्राम पंचायत डग के द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 10.08.2023 को अवलोकन कराते हुए दौराने तर्क कथन किया कि दिनांक 07.08.2022 कोई कोरम कि मीटिंग ग्राम पंचायत डग में नहीं हुई है और न ही जेर अपील नामांतरकरण कौरम के द्वारा तस्दीक फरमायाउ गया है और ना ही हस्ताक्षरित किया गया है उक्त परिस्थिति में भी निर्णय जेर अपील पारित फरमाने में विधिक भूल कारित की गई है। अपीलांट के द्वारा उक्त

वर्णित खसरा सं0 4817/477 रकबा 0.2280 है0 को रेस्पो0 क्र. 3 से क्रय दिनांक 01.03.2009 को किया था व वर्ष 2009 से उक्त भूमि पर काबिज मय काश्त चला आ रहा है, उक्त आराजी बाबत विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने हेतु इकरार इकरारनामा दिनांक 26.12.2022 निष्पादित कर हस्ताक्षरित करते हुए नोटरी प्रमाणित करवाया गया है। अतः अपील स्वीकार कर जेर अपील निर्णय दिनांक 12.03.2024 अपास्त फरमाते हुए नामांतकरण संख्या 5959 दिनांक 07.08.2023 ग्राम पंचायत डग तहसील डग को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 क्र. 2 अभिभाषक सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए लिखित बहस पेश कर वर्णित किया कि रेस्पो0 क्र. 3 कि भूमि खसरा संख्या 4777/1525 रकबा 0.6200 हेक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम डग तहसील डग में स्थित है, जिसमें से मार्ग अधिकार बाबत रकबा 0.3920 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समर्पण कर दी गई थी तथा संपरिवर्तन आदेश दिनांक 12.12.2021 को पारित फरमा दिया गया था, उक्त परिस्थिति में मेरे खाते में रकबा 0.2280 हेक्टेयर भूमि थी। विक्रय पत्र पंजीकृत दिनांक 30.05.2022 में खसरा संख्या 4777/1525 रकबा 0.6200 है0 कृषि भूमि वाके ग्राम डग तहसील डग में से 0.3794 हैक्टेयर भूमि का विक्रय किया जाना अंकित है जिसके आधार पर जैरअपील नामांतरकरण कथित रूप से तस्दीक फरमाया गया जबकि दिनांक 13.12.2021 से उक्त भूमि का रकबा 0.2280 हेक्टेयर भूमि थी। उक्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि अस्तित्व में नही होते हुये भी कथित रूप से अनाधिकृत रूप से बिना कब्जे के अंतरण के अभाव में पंजीकृत फरमाया गया है जो प्रारम्भिक रूप से शून्य विधि विरूद्ध निष्प्रभावी तस्दीक फरमाया गया है, जो काबिल अपास्तनीय है। ग्राम पंचायत डग की शक्तियां निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.08.2023 से गौण हो गई थी कि ग्राम पंचायत डग सरपंच के चुनाव दिनांक 20.08.2023 को होगें वह आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी थी तथा नामांतरकरण पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है ना हीं कौरम के ना ही प्रस्ताव संख्या अंकित है एवं ग्राम पंचायत डग के द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.08.2023 आलेखित किया है कि दिनांक 07.08.2022 कोई कोरम की मिटिंग ग्राम पंचायत डग में नहीं हुई है और ना ही अपील नांमातरकरण कौरम के द्वारा तस्दीक फरमाया गया है और ना ही हस्ताक्षरित किया गया है उक्त परिस्थिति में भी निर्णय जेर अपील पारित फरमाने में विधिक भूल कारित की गई। अपीलांट के द्वारा उक्त वर्णित खसरा सं0 4817/477 रकबा 0.2280 है0 को रेस्पो0 क्र. 3 से क्रय दिनांक 01.03.2009 को किया था व वर्ष 2009 से उक्त भूमि पर काबिज मय काश्त चला आ रहा है, उक्त आराजी बाबत विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने हेतु इकरारनामा दिनांक 26.12.2022 निष्पादित कर हस्ताक्षरित करते हुए नोटरी प्रमाणित करवाया गया है। अतः अपील स्वीकार कर जेर अपील निर्णय दिनांक 12.03.2024 अपास्त फरमाते हुए नामांतकरण संख्या 5959 दिनांक 07.08.2023 ग्राम पंचायत डग तहसील डग को

22/10/24

खारिज करने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष में समर्थन में न्यायिक दृष्टांत DNJ 2021(1) पेज 672, DNJ 2023(2) पेज 749, RRD June 2002 पेज 338 एवं 2023(1) DNJ [Rev-] पेज 486 पेश किये।

5 अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 2 ने अपने पक्ष के समर्थन में वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधि. गंगधार द्वारा प्रकरण में पक्षकारान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए जेरअपील निर्णय पारित किया गया है। रेस्पो0 क्र.2 ने रेस्पो0 क्र. 3 से जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2022 से खसरा संख्या 4777/1525 रकबा 0.6200 है0 में से 0.3794 है0 भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग द्वारा केवल नये निर्माण कार्य शुरू किये जाने, निर्माण के नये प्रस्ताव कोरम में लिये जाने एवं लोक–लुहावनी घोषणा किये जाने की ग्राम पंचायत पर पाबंदी लगायी जाती है, ना कि किसी प्रकार के सामान्य एवं दैनिक प्रशासनिक कार्यों यथा नामान्तरकरण, पेयजल, जाति, मूल निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों आदि पर कोई रोक नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं पर गौर करते हुए जेरअपील निर्णय दिनांक 12.03.2024 पारित किया गया है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में ही चैलेंज किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2024 न्यायोचित होने से अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

6 अभिभाषक अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रकरण में आवश्यक दस्तावेज पेश किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया। रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज रिकोर्ड पर लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। लिहाजा अपीलांट की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रिकोर्ड पर लिये जाते हैं।

7 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन करने से प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत डग की कोरम द्वारा नामातंरण संख्या 5959 दिनांक 7.08.2023 से स्वीकृत किया गया। उक्त नामातंरण के विरूद्व अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार को पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने से राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी या पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी ऐसा कोई भी आदेश/परिपत्र/नोटिफिकेशन पेश नहीं किये जाने से ग्राम पंचायत डग द्वारा स्वीकृत उपरोक्त नामांतरण कानूनन वैध मानते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 12.03.2024 से खारिज की गई। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि रेस्पो0 क्र. 3 कि भूमि खसरा संख्या 4777/1525 रकबा 0.6200 हेक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम डग तहसील डग में स्थित है, जिसमें से मार्ग अधिकार बाबत रकबा 0.3920 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समर्पण कर दी गई

22/10/24

थी तथा संपरिवर्तन आदेश दिनांक 12.12.2021 को पारित फरमा दिया गया था। विक्रय पत्र पंजीकृत दिनांक 30.05.2022 में खसरा संख्या 4777/1525 रकबा 0.6200 है0 कृषि भूमि वाके ग्राम डग तहसील डग में से 0.3794 हैक्टेयर भूमि का विक्रय किया जाना अंकित है जिसके आधार पर जैरअपील नामांतरकरण कथित रूप से तस्दीक फरमाया गया जबकि दिनांक 13.12.2021 से उक्त भूमि का रकबा 0.2280 हेक्टेयर भूमि थी। उक्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि अस्तित्व में नही होते हुये भी कथित रूप से अनाधिकृत रूप से बिना कब्जे के अंतरण के अभाव में पंजीकृत फरमाया गया है। ग्राम पंचायत डग की शक्तियां निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.08.2023 से गौण हो गई थी कि ग्राम पंचायत डग सरपंच के चुनाव दिनांक 20.08.2023 को होगें वह आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी थी तथा नामांतरकरण पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है ना ही कौरम के ना ही प्रस्ताव संख्या अंकित है एवं ग्राम पंचायत डग के द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.08.2023 आलेखित किया है कि दिनांक 07.08.2022 कोई कोरम की मिटिंग ग्राम पंचायत डग में नहीं हुई है और ना ही अपील नांमातरकरण कौरम के द्वारा तस्दीक फरमाया गया है और ना ही हस्ताक्षरित किया गया है उक्त परिस्थिति में भी निर्णय जेर अपील पारित फरमाने में विधिक त्रुटि की गई है। इसके विपरित अभि0 रेस्पो क्र. 2 का तर्क है कि रेस्पो0 क्र.2 ने रेस्पो0 क्र. 3 से जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2022 से खसरा संख्या 4777/1525 रकबा 0.6200 है0 में से 0.3794 है0 भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग द्वारा केवल नये निर्माण कार्य शुरू किये जाने, निर्माण के नये प्रस्ताव कोरम में लिये जाने एवं लोक–लुहावनी घोषणा किये जाने की ग्राम पंचायत पर पाबंदी लगायी जाती है, ना कि किसी प्रकार के सामान्य एवं दैनिक प्रशासनिक कार्यों यथा नामान्तरकरण, पेयजल, जाति, मूल निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों आदि पर कोई रोक नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं पर गौर करते हुए जेरअपील निर्णय दिनांक 12.03.2024 पारित किया गया है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में ही चैलेंज किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2024 न्यायोचित होने से अपील निरस्तनीय है।

8 उपरोक्त विवेचनानुसार अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में वर्णित मुख्य बिन्दु यह कि ग्राम पंचायत डग (रेस्पो0 क्र. 1) द्वारा रेस्पो0 क्र. 2 (विक्रमलाल) के पक्ष में उसकी रजि0 विक्रय पत्र से क्रयशुदा आराजी से भिन्न का नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जबकि दिनांक 07.08.2022 को कोई कोरम की मिटिंग ग्राम पंचायत डग में नहीं हुई है और ना ही अपील नांमातरकरण कोरम के द्वारा तस्दीक फरमाया गया है और ना ही हस्ताक्षरित किया गया है तथा ग्राम पंचायत डग (रेस्पो क्र. 1) द्वारा ग्राम पंचायत डग में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी रेस्पो क्र. 2 के पक्ष में विधि विरूद्ध नामान्तरकरण खोला गया है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2022 के अनुसार विवादित आराजी खसरा संख्या 4777/1525 रकबा 0.6200 है0 जो की मांगू पुत्र मेहताब बागरी के खाते दर्ज है, में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2022 के अनुसार खातेदार मांगू द्वारा उक्त आराजी में से

0.3794 है0 भूमि का बेचान रेस्पो0 क्र 2 विक्रमलाल पुत्र रोडालाल को किया जाकर कब्जा सौंप दिया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही रेस्पो0 क्र0 2 विक्रमलाल के पक्ष में खसरा संख्या 4777/1525 रकबा 0.6200 है0 में से 0.3794 है0 भूमि का बेनामा दर्ज किया जाना था। इसके बावजूद रेस्पो0 क्र. 3 मांगू द्वारा उक्त आराजी रेस्पो0 क्र. 2 विक्रमलाल को बेचान करने के पश्चात् केता को कब्जा सोंपने के बाद भी नांमांतरकरण नहीं खुलने से जमाबंदी में अंकित संपूर्ण रकबा 0.62000 है0 भूमि नाम दर्ज होने से 0.3920 है भूमि का समर्पण कर दिया तथा तहसीलदार डग द्वारा नामान्तरकरण संख्या 5757 दिनांक 30.09.2022 से तस्दीक करते समय उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2022 को ध्यान में नही रखा गया। इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही खसरा संख्या 4817/4777 रकबा 0.2280 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम का नामांतरण संख्या 5959 दिनांक 07.08.2023 स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है क्योंकि नामांतरकरण तस्दीक करते समय बेचे गये या समर्पित किये गये प्रत्येक भू–खण्ड को तकनीकी रूप से एक नया खसरा संख्या जनरेट कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ही समर्पित की गयी भूमि का नया खसरा संख्या 4816/4777 जनरेट होने तथा शेष बची भूमि का भी स्वतः ई–धरती पोर्टल के माध्यम से मूल खसरा संख्या 4777/1525 से क्रयशुदा आराजी का (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर) नया एवं पृथक खसरा नं0 4817/4777 जनरेट होने से प्रकरण में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपीलांट द्वारा आदर्श आचार संहिता के तर्क को भी प्रकरण में उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2024 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग से या पंचायती राज विभाग से ग्राम पंचायत पर कोई रोक नहीं थी तो ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण कानून वेध है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट होता है कि नामांतरकरण संख्या 5959 दिनांक दिनांक 07.08.2023 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही स्वीकृत किया गया है तथा प्रकरण में नामान्तरकरण रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खुलने से अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष सिविल नेचर का होने से हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार (प्रथम अपीलीय न्यायालय) का निर्णय दिनांक 12.03.2024 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9 निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/10/24

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. सं. आयुक्त
कोटा